

Psychology MJC+MIC -9 Semester- 5

Type of Counselling



**परामर्श के
प्रकार**

डॉ० अमर भारती सहायक प्राध्यापक



Poster Maker

उत्तर—परामर्श का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि इसका सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं से होता है। परामर्श में वैयक्तिक और सामाजिक दोनों पक्षों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसके अनेक प्रयोजन व लक्ष्य होते हैं। प्रयोजनों, क्षेत्रों एवं लक्ष्यों की भिन्नता के आधार पर परामर्श के विभिन्न प्ररूप विकसित हो गये हैं, जैसे—नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोचिकित्सात्मक परामर्श, छात्र परामर्श, समूह परामर्श आदि।

उपर्युक्त वर्गीकरणों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने परामर्श की प्रकृति या स्वरूप के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया है या प्रकार विकसित किये हैं—निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श तथा समन्वित परामर्श। ये परामर्श प्रारूप परामर्शप्राथी या उपबोध्य (Counsee) एवं परामर्शक के सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले उपागमों तथा उनके महत्व के क्रम पर आधारित हैं। इन प्रकारों या प्रारूपों का अलग-अलग वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

निर्देशात्मक परामर्श (Directive Counselling)

निर्देशात्मक परामर्श (Directive Counselling) का विकास इ. सी. विलियमसन (E. C. Williamson) द्वारा किया गया है। निर्देशात्मक परामर्श आदेशात्मक, सूचनात्मक तथा परामर्शदाता केन्द्रित होता है। परामर्शदाता स्वयं परामर्श की सम्पूर्ण प्रक्रिया में धुरी के समान सक्रिय रहता है। वह प्राथी (Counsee) की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताता है एवं निर्देश (Direction) देता है। कुप्पूस्वामी ने निर्देशात्मक परामर्श के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि, “निर्देशात्मक परामर्श (Directive Counselling) में परामर्शदाता प्राथी के साथ साक्षात्कार की पूरी तैयारी करता है। अतः वह प्राथी से सम्बन्धित

सभी सूचनाएँ एकत्र करता है, समस्या के कारणों को निर्धारित करता है और अन्त में अपने विचारानुसार उन समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान निश्चित करता है।”

यह परामर्श इस मान्यता पर आधारित है कि परामर्शदाता अधिक योग्य, निपुण और परामर्श प्रक्रिया हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति है। वह मानवीय प्रेरणा के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त से पूर्णतः परिचित रहता है तथा परामर्श के नियमों, सिद्धान्तों तथा अनुभवों से परिपूर्ण रहता है। इसके विपरीत प्रार्थी समस्याग्रस्त व कुसमायोजित होने के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः अव्यवस्थित रहता है, उसे परामर्श और मानवीय प्रेरणाओं के मनोवैज्ञानिक पहलू की भी कोई जानकारी नहीं होती है फलतः वह अपनी समस्या को समझने व उसका समाधान ढूँढ़ने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में परामर्श की बागडोर देकर उसे स्वतन्त्र छोड़ देना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। अतः इसके अनुसार प्रार्थी के परामर्श के तहत परामर्शदाता को एक विशेषज्ञ के तौर पर सक्रिय और हावी रहना चाहिए तथा प्रार्थी को निष्क्रिय रहना चाहिए और उसे परामर्शदाता की सलाहों व सुझावों पर अमल करना चाहिए। इसीलिए इसे ‘परामर्शदाता केन्द्रित परामर्श’ (Counsellor-Centred Counselling) भी कहा जाता है।

निम्नलिखित बिंदु परामर्श की प्रमुख धारणाएँ (Basic Assumptions of

उत्तर—अनिर्देशात्मक परामर्श (Non-directive Counselling) भी परामर्श का एक प्रमुख प्रकार है। इसका प्रतिपादन कार्ल रोजर्स (Carl Rogers) ने 1942 में किया था। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें परामर्शदाता समस्या से मुक्त होने के लिए प्रार्थी को अपनी कोई भी राय या सलाह नहीं देता है। परामर्श की सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रार्थी ही धुरी होता है। वह लक्ष्य प्राप्ति में सक्रिय भूमिका अदा करता है। परामर्श को सफल बनाने तथा समस्या समाधान की दिशा में प्रगति करने का उत्तरदायित्व प्रार्थी पर होने के कारण ही इसे 'प्रार्थी केन्द्रित परामर्श' (Client-Centred Counselling) और 'व्यक्ति केन्द्रित परामर्श' (Person Centred Counselling) के नाम से भी पुकारा जाता है।

अनिर्देशात्मक परामर्श इस सिद्धान्त पर आधारित है कि मानव-स्वभाव मूलतः अच्छाई लिए हुए है और प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक परिवर्तन कर सकने की क्षमता है। प्रार्थी में स्वयं को स्वस्थ बनाने की सामर्थ्य होती है तथा उसमें अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने तथा बिना किसी निर्देशन के सही मार्ग के चयन कर सकने की अन्तःशक्ति (Potentiality) मौजूद होती है। इस परामर्श में प्रार्थी को सलाह देने, निर्देशित करने, आलोचना करने अथवा अनुनय करने का अधिकार परामर्शदाता को नहीं होता है। परामर्शदाता का मुख्य कार्य ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना है जिसमें प्रार्थी अपनी अन्तःशक्ति को जान व समझकर उसकी सहायता से स्वतः अपने संवेगात्मक प्रतिरोधों को दूर कर सामान्य विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। इस प्रकार अनिर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी को बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देश के आत्मोपलब्धि एवं आत्मसिद्धि (Self-Actualization) तथा आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख किया जाता है।